निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 40 / 2020
दायरा दिनांकः–06.10.2020
निर्णय दिनांकः– 30.9.24

उनवान

1 रामस्वरूप आयु 47 वर्ष पुत्र धन्नालाल

2. मेघराज आयु 50 वर्ष पुत्र धन्नालाल जातियान किराड निवासीगण शेखापुर तहसील छबडा जिला बारां राज0

बनाम

1. हंसराज आयु 45 वर्ष पुत्र धन्नालाल जाति किराड निवासी ग्राम शेखापुर तहसील छबडा जिला बारां राज0 हाल मुकाम गायत्री मन्दिर के सामने सिद्धेश्वर मोबाईल प्वाईट स्टेशन रोड छबडा तहसील छबडा जिला बारां राज0

2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबडा जिला बारा राज0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0
निर्णय दिनांकः– 30.9.24
अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री अशोक मेहता – प्रार्थी
2. श्री हेमन्त पारीक – अप्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय मे इस आशय का पेश किया गया कि वाके माल ग्राम शेखापुर तहसील छबड़ा में कृषि आराजी खाता संख्या नया 78 पुराना 71 की खसरा नंबर 182 रकबा 09 बिस्वा, खसरा नंबर 211 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नबर 330 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नंबर 331 रकबा 09 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नंबर 337/1 रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नंबर 374 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 375 रकबा 06 बीघा 02 बिस्वा खसरा नंबर 376 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा खसरा नंबर 377 रकबा 01 बीधा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 378 रकबा 07 बिस्वा खसरा नंबर 379 रकबा 14 बिस्वा खसरा नंबर 380 रकबा 06 विस्वा, खसरा नंबर 381 रकबा 01 विस्वा खसरा नंबर 382 रकबा 01 बिस्वा खसरा नंबर 383 रकबा 01 बीचा 06 बिस्वा, खसरा नंबर 385 रकबा 01 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 388 रकबा 04 बिस्वा कुल किता 17 रकबा 29 बीघा 09 बिस्वा अवस्थित है। इस प्रकार माल शेखापुर तहसील छबड़ा में खाता संख्या नया 77 पुराना 70 की खसरा नंबर 393 रकबा 03 विस्वा कृषि आराजी अवस्थित है। जिसके प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी कम 1 खातेदार कृषक है। उक्त कृषि आराजियात पैत्रक है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी कम के पिता धन्नालाल पुत्र जगन्नाथ के खाते से विरासत में प्राप्त हुई है। प्रार्थना पत्र की मद नंबर 2 में वर्णित कृषि आराजियात का प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी क्रम 1 के पिता श्री धन्नालाल के समय दिनांक 24.06.2004 को बंटवारा कर दिया गया था। बंटवारे के अनुसार ही प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी क्रम 1 अपने–अपने हिस्से पर काबिज है एवं काश्त करते चले आ रहे है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

कन खातेदारी विभाजन नहीं होने से प्रार्थीगण अपने हिस्से की कृषि आराजियात को उन्नत एवं विकसित नहीं कर सकते हैं, ना ही ट्यूबवैल लगवाकर कृषि कनेक्शन करवा सकते हैं। जिससे प्रार्थीगण को अपरिमित क्षति होगी। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी क्रम 1 सगे भाई है, लेकिन अप्रार्थी क्रम 1 से अनैक बार बंटवारा करवाकर विभाजन करवाने हेतु कहा तो टालमटोल करता रहा एवं प्रार्थीगण की कृषि आराजियात को नुकसान पहुंचाने की गरज से हिस्सा बदलने की धमकी दी और दिनांक 01.10.2020 को प्रार्थीगण के विरुद्ध पुलिस थाना कवाई में झूठी शिकायत कर प्रार्थीगण को परेशान किया। लिहाजा अब प्रार्थीगण के पास माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर बंटवारा करवाने के अतिरिक्त कोई विकल्प शेष नहीं है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर क्लेम पेश हुआ। वकील प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम शेखापुर सम्वत् 2072–75 खाता संख्या 78 नकल पारिवारिक बटंवारा दिनांक 24.06.2004 पेश किया गया।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम शेखापुर तहसील छबडा में स्थित है। जिसके प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी क्रम 1 सहखातेदार है विवादित आराजी पैत्रक है विवादित आराजी पिता धन्नालाल से विरासत में प्राप्त हुई है पिता धन्नालाल के समय दिनांक 24.06.2004 को भूमि व मकान आदि का बटवारा कर दिया था। बटवारा के आधार पर ही प्रार्थीगण व अप्रार्थी क्रम 1 अपने अपने हिस्से की भूमि को उन्नत व विकसित नही कर सकतें और ना ही ट्युबवैल लगा सकतें ना ही कनेक्शन करवा सकतें है यदि प्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमि को विकसित नही कर पाया तो प्रार्थीगण को अपरिमित क्षति होगी प्रार्थी की कृषि आराजी पर नुकसान पहुचानें की धमकी दी गई। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी द्वारा जवाब काउन्टर क्लेम में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। भूमि दीगोद तहसील छबडा में स्थित है जिसे जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीदा था जो प्रार्थी क्रम 2 मेघराज के नाम वाली भूमि के अलावा 14 बीघा भूमि का न्यायालय में केस चल रहा है उक्त भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति है जिस पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी को बराबर का हक व अधिकार है। प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि एवं खरीदी गई भूमि सम्पूर्ण का बटवारा किया गया था। उक्त भूमि पैत्रक एवं संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति होने तथा बटवारा नामान्तरण दिनांक 24.06.2004 के आधार पर अप्रार्थी क्रम 1 का हिस्सा 1/3 अपने नाम करवाने का अधिकारी है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे एवं अप्रार्थी क्रम 1 काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जावे।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम शेखापुर सम्वत् 2072–75 खाता संख्या 78 में धन्नालाल का नाम दर्ज रिकार्ड है नकल जमाबन्दी ग्राम शेखापुर सम्वत् 2072–75 खाता संख्या 77 में धन्नालाल का नाम दर्ज रिकार्ड है जमाबन्दी में नामान्तरण संख्या 706 दिनांक 05.06.2017 विरासत से मृतक धन्नालाल के स्थान पर वारिसान मेघराज,रामस्वरूप,हंसराज, पुत्र धन्नालाल का नाम दर्ज करने का आदेश हुआ

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

ट अंकित है प्रस्तुत पारिवारिक बटवारा के अनुसार ग्राम शेखापुर में मकान व जमीन का बटवारा किया गया है ट्युबवैल वाली 15.04 बीघा फार्म वाली 20 बीघा तथा तलाई वाली 14.05 बीघा भूमि का बटवारा होना अंकित है ग्राम दीलोद की भूमि पारिवारिक बटवारे में अंकित नही है मेघराज के नाम रजिस्ट्री वाली जमीन व दुकान को मेरी इच्छा से किसी एक लडके या तीनों लडकों या अन्य व्यक्ति को दे सकता है इससे किसी को कोई उजर नही होगा। इससे यह साबित होता है कि मृतक धन्नालाल द्वारा अपनी उपस्थिति में तीनों बेटों को बटवारा कर दिया था। मूल वाद में बटवारे का निस्तारण किया जायेगा विवादित भूमि शामलाती खातेदारी की है जिसके बटवारे का वाद विचाराधीन है। प्रार्थी को किसी प्रकार की कोई अपरिमित क्षति प्रतीत नही हो रही है प्रार्थी को स्थगन आदेश दिया जाना उचित नही है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थी का काउन्टर क्लेम खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थी का काउन्टर क्लेम चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

उपखण्ड अधिकारी
छबडा (बारां)